

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

विरडीचर बनाम गोपाल वर्मा

कदमा संख्या- 02/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/11/22	<p>व. फ. 350। उत्तिवादी सं. 1 की ओर से डा. पत्र बाबत नाम संगोचन हेतु पेडा किया गया। मकल दिलायी गयी। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उक्त डा. पत्र इस पत्रावली में पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।</p> <p>पूर्व में उत्ती/ वादी की ओर से ख. नं. 1795 के संबंध में सहगति डा. पत्र बाबत कुरेजात रिपोर्ट का पेडा किया गया जो डा. मि. किया गया। डा. पत्र आपति कुरेजात रिपोर्ट पर पुनः उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। डा. पत्र, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अपलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। अन्य पक्षकारान द्वारा पूर्व में दिनांक 3/11/22 को तक्रारि बाबत आदेशिका पर दस्तावर कर पूर्ण सहगति दे दी गई है। उत्तिवादी सं. 1 के द्वारा डा. पत्र बाबत आपति कुरेजात उपल मात्र उकरण में निस्तारण में देरीना करने की गरज से पेडा किया गया है जिससे डा. पत्र बाबत आपति कुरेजात का खारिज किया जाना - थापयित उचित होता है। अतः डा. पत्र बाबत आपति कुरेजात खारिज किया जाता है।</p> <p>आम ही अधिवक्ता उभय पक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं कुरेजात का अपलोकन किया गया। जिसमें तहसीलदार - चौमूं के द्वारा वादी एवं उत्तिवादीगण की समस्त</p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

किरी-चण्ड

बनाम

गोपाल कौंठ

मुकदमा संख्या- 02/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

साह खातेदारी भूमि का लकाहमा किया जाकर कुरैजात उस्ताव न्यायालय में उपलब्ध किये गये हैं, लेकिन उक्त कुरैजात में ख. नं. 1795 का भी लकाहमा किया जाकर उस्ताव तैयार किया गया है जबकि वादी के द्वारा उक्त ख. नं. का अडुलोप नहीं खाद्य गया। जिसके संबंध में पूर्व में ख. नं. 1795 को पृथक् रखते हुए वादी वाद अंतिम डिक्री किये जाने की सहमति दी गई है जिससे ख. नं. 1795 को अंतिम डिक्री नहीं की जाकर पृथक् रखते हुए वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्याप्त जारी हो। निर्णय पृथक् से लिखवाया जाकर आ० पतापत्ती किया गया। पतापत्ती जैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

डिक्री मुकददमा इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

उनवान

बिरदीचन्द उर्फ वृद्धिचन्द यादव पुत्र स्व0 श्री झूथा, उम्र 56 वर्ष, जाति अहीर (यादव), निवासी ढाणी मान्यावाली, ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व0श्री झूथा, जाति अहीर
2. रामू पुत्र स्व0श्री झूथा, जाति अहीर
3. सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, जाति अहीर
4. किशनलाल पुत्र चौथमल, जाति कुमावत
5. पार्वती देवी पत्नि रामचन्द्र, जाति कुमावत
6. कानी देवी पत्नि श्री नन्दलाल, जाति कुमावत
7. मनभरी देवी पत्नि श्रवण कुमार, जाति अहीर
समस्त निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. मनभरी देवी पत्नि स्व0 श्री रामनिवास, जाति अहीर, निवासी उगरियावास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार महोदय, तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
11. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
14. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।


-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर:-02/2022


ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगणमिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वाके ग्राम मलिकपुर, पटवार हल्का मलिकपुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 63 के खसरा नं0


राजेश जाखड़
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

1798/1 रकबा 0.1068 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1068 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 64 का खसरा नं0 1796 ढाणी रकबा 0.1500 है0, खसरा नं0 1806 रकबा 0.2800 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 226 का खसरा नं0 1807 रकबा 0.9600 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.9600 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 489 का खसरा नं0 1805 रकबा 0.7000 है0, खसरा नं0 1805/2214 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 490 का खसरा नं0 1797/1 रकबा 0.9316 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.9316 हैक्टेयर भूमि कामुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 08.09.2022 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-


1. गोपाल पुत्र झूथा, जाति यादव सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नम्बर 1796/2 रकबा 0.0580 है0, खसरा नम्बर 1797/1/4 रकबा 0.2800 है, खसरा नम्बर 1805/2 रकबा 0.3031 है0, खसरा नम्बर 1807/5 रकबा 0.3042 है0, खसरा नम्बर 1798/1/1 रकबा 0.0854 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.0307 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे पीले रंग से दर्शायी गई है।
2. बिरदीचन्द पुत्र झूथा, जाति यादव सा0 देह खातेदार राहिन एस0बी0बी0जे0 (एस0बी0आई0), शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नम्बर 1796/3 रकबा 0.0780 है0, खसरा नम्बर 1797/1/3 रकबा 0.2599 है, खसरा नम्बर 1797/1/6 रकबा 0.0326 है0, खसरा नम्बर 1805/3 रकबा 0.1762 है0, खसरा नम्बर 1807/1 रकबा 0.2908 है0, खसरा नम्बर 1806/2 रकबा 0.1603 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 0.9978 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
3. रामू उर्फ रामलाल पुत्र झूथा, जाति यादव सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1796/1 रकबा 0.0140 है0, खसरा नम्बर 1806/1 रकबा 0.1053 है, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1193 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गई है।
4. सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, जाति यादव सा0 देह खातेदार राहिन एस0बी0आई0, शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नम्बर 1805/4 रकबा 0.2048 है0, खसरा नम्बर 1805/2214/2 रकबा 0.0442 है, खसरा नम्बर 1807/4 रकबा 0.2739 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.5229 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।
5. सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, हिस्सा 1/2, राहिन एस0बी0आई0, शाखा गोविन्दगढ़, रामू पुत्र झूथा, हिस्सा 1/2 बिलारहन, जाति यादव सा0 देह खातेदारके हिस्से में खसरा नम्बर 1797/1/1 रकबा 0.3114 है0, खसरा नम्बर 1797/1/5 रकबा 0.0373 है, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.3487 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
6. सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, हिस्सा 1/2, राहिन एस0बी0आई0, शाखा गोविन्दगढ़, बिरदीचन्द पुत्र झूथा, हिस्सा 1/2 राहिन एस0बी0बी0जे0 (एस0बी0आई0), शाखा गोविन्दगढ़, जाति यादव सा0 देह खातेदारके हिस्से में खसरा नम्बर


सहायक जज
चौधू (जिम्नुर)

- 1797/1/2 रकबा 0.0104 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0104 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में सलेटी रंग से दर्शायी गई है।
7. गोपाल पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा गोविन्दगढ़, बिरदीचन्द पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, राहिन एस0बी0बी0जे0 (एस0बी0आई0), शाखा गोविन्दगढ़, रामू पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, बिलारहन, जाति यादव सा0 देह खातेदारके हिस्से में खसरा नम्बर 1806/3 रकबा 0.0144 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0144 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है।
8. गोपाल पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा गोविन्दगढ़, बिरदीचन्द पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, राहिन एस0बी0बी0जे0 (एस0बी0आई0), शाखा गोविन्दगढ़, सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, हिस्सा 1/3, राहिन एस0बी0आई0, शाखा गोविन्दगढ़, जाति यादव सा0 देह खातेदारके हिस्से में खसरा नम्बर 1805/1 रकबा 0.0159 है0, खसरा नम्बर 1805/2214/1 रकबा 0.0058 है0, खसरा नम्बर 1807/7 रकबा 0.0161 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.0378 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
9. किशनलाल पुत्र चौथमल, जाति कुमावत, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1807/6 रकबा 0.0300 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शायी गई है।
10. पार्वती देवी पत्नि रामचन्द, जाति कुमावत, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1807/3 रकबा 0.0250 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0250 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गहरे हरे रंग से दर्शायी गई है।
11. मनभरी देवी पत्नि रामनिवास, जाति यादव, सा0 उगरियावास खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1807/2 रकबा 0.0200 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शायी गई है।
12. कानी देवी पत्नि नंदलाल, हिस्सा 1/2, मनभरी देवी पत्नि श्रवण कुमार, हिस्सा 1/2, जाति यादव, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1798/1/2 रकबा 0.0214 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0214 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
13. खसरा नम्बर 1795 के संबंध में पक्षकारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर उक्त खसरा नम्बर की अंतिम डिक्री नहीं की जाकर पूर्व स्थिति अनुसार पृथक रखा जाता है।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा
करें।


बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 30.11.2022 को जारी किया
गया।



दस्तावेज
ओहवा.....चौधू (जायपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	6
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
8.मुतफरिक		7.मुतफरिक	
जोड़	6	जोड़	6


सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

मुकदमा नं0-02/2022

उनवान

बिरदीचन्द उर्फ वृद्धिचन्द यादव पुत्र स्व0 श्री झूंथा, उम्र 56 वर्ष, जाति अहीर (यादव), निवासी ढाणी मान्यावाली, ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व0श्री झूंथा, जाति अहीर
2. रामू पुत्र स्व0श्री झूंथा, जाति अहीर
3. सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, जाति अहीर
4. किशनलाल पुत्र चौथमल, जाति कुमावत
5. पार्वती देवी पत्नि रामचन्द्र, जाति कुमावत
6. कानी देवी पत्नि श्री नन्दलाल, जाति कुमावत
7. मनभरी देवी पत्नि श्रवण कुमार, जाति अहीर
समस्त निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. मनभरी देवी पत्नि स्व0 श्री रामनिवास, जाति अहीर, निवासी उगरियावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार महोदय, तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
11. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तित भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।


-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय


दिनांक:-30.11.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में दिनांक 27.06.2022 को आपसी राजीनामे के अनुसार बंटवारा किये जाने के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। वकील वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी राजीनामे व प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 08.09.2022 के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया।


सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है तथा खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा चुका है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 08.09.2022 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं वाके ग्राम मलिकपुर, पटवार हल्का मलिकपुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 63 के खसरा नं0 1798/1 रकबा 0.1068 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1068 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 64 का खसरा नं0 1796 ढाणी रकबा 0.1500 है0, खसरा नं0 1806 रकबा 0.2800 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 226 का खसरा नं0 1807 रकबा 0.9600 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.9600 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 489 का खसरा नं0 1805 रकबा 0.7000 है0, खसरा नं0 1805/2214 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 490 का खसरा नं0 1797/1 रकबा 0.9316 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.9316 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

1. गोपाल पुत्र झूंथा, जाति यादव सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा गोविन्दगढ़के हिस्से में खसरा नम्बर 1796/2 रकबा 0.0580 है0, खसरा नम्बर 1797/1/4 रकबा 0.2800 है, खसरा नम्बर 1805/2 रकबा 0.3031 है0, खसरा नम्बर 1807/5 रकबा 0.3042 है0, खसरा नम्बर 1798/1/1 रकबा 0.0854 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.0307 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे पीले रंग से दर्शायी गई है।
2. बिरदीचन्द पुत्र झूंथा, जाति यादव सा0 देह खातेदार राहिन एस0बी0बी0जे0 (एस0बी0आई0), शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नम्बर 1796/3 रकबा 0.0780 है0, खसरा नम्बर 1797/1/3 रकबा 0.2599 है, खसरा नम्बर 1797/1/6 रकबा 0.0326 है0, खसरा नम्बर 1805/3 रकबा 0.1762 है0, खसरा नम्बर 1807/1 रकबा 0.2908 है0, खसरा नम्बर 1806/2 रकबा 0.1603 है0, कुल किता 6 का कुल रकबा 0.9978 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
3. रामू उर्फ रामलाल पुत्र झूंथा, जाति यादव सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1796/1 रकबा 0.0140 है0, खसरा नम्बर 1806/1 रकबा 0.1053 है, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1193 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गई है।
4. सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, जाति यादव सा0 देह खातेदार राहिन एस0बी0आई0, शाखा गोविन्दगढ़के हिस्से में खसरा नम्बर 1805/4 रकबा 0.2048 है0, खसरा नम्बर 1805/2214/2 रकबा 0.0442 है, खसरा नम्बर 1807/4 रकबा 0.2739 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.5229 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।


सहायक कमिश्नर
चौमूं (जयपुर)

5. सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, हिस्सा 1/2, राहिन एस0बी0आई0, शाखा गोविन्दगढ, रामू पुत्र झूथा, हिस्सा 1/2 बिलारहन, जाति यादव सा0 देह खातेदारके हिस्से में खसरा नम्बर 1797/1/1 रकबा 0.3114 है0, खसरा नम्बर 1797/1/5 रकबा 0.0373 है, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.3487 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
6. सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, हिस्सा 1/2, राहिन एस0बी0आई0, शाखा गोविन्दगढ, बिरदीचन्द पुत्र झूथा, हिस्सा 1/2 राहिन एस0बी0बी0जे0 (एस0बी0आई0), शाखा गोविन्दगढ, जाति यादव सा0 देह खातेदारके हिस्से में खसरा नम्बर 1797/1/2 रकबा 0.0104 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0104 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में सलेटी रंग से दर्शायी गई है।
7. गोपाल पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा गोविन्दगढ, बिरदीचन्द पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, राहिन एस0बी0बी0जे0 (एस0बी0आई0), शाखा गोविन्दगढ, रामू पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, बिलारहन, जाति यादव सा0 देह खातेदारके हिस्से में खसरा नम्बर 1806/3 रकबा 0.0144 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0144 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है।
8. गोपाल पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा गोविन्दगढ, बिरदीचन्द पुत्र झूथा, हिस्सा 1/3, राहिन एस0बी0बी0जे0 (एस0बी0आई0), शाखा गोविन्दगढ, सायरमल दत्तक पुत्र रामू उर्फ रामलाल, हिस्सा 1/3, राहिन एस0बी0आई0, शाखा गोविन्दगढ, जाति यादव सा0 देह खातेदारके हिस्से में खसरा नम्बर 1805/1 रकबा 0.0159 है0, खसरा नम्बर 1805/2214/1 रकबा 0.0058 है0, खसरा नम्बर 1807/7 रकबा 0.0161 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.0378 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
9. किशनलाल पुत्र चौथमल, जाति कुमावत, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1807/6 रकबा 0.0300 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शायी गई है।
10. पार्वती देवी पत्नि रामचन्द, जाति कुमावत, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1807/3 रकबा 0.0250 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0250 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गहरे हरे रंग से दर्शायी गई है।
11. मनभरी देवी पत्नि रामनिवास, जाति यादव, सा0 उगरियावास खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1807/2 रकबा 0.0200 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शायी गई है।
12. कानी देवी पत्नि नंदलाल, हिस्सा 1/2, मनभरी देवी पत्नि श्रवण कुमार, हिस्सा 1/2, जाति यादव, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1798/1/2 रकबा 0.0214 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0214 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
13. खसरा नम्बर 1795 के संबंध में पक्षकारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर उक्त खसरा नम्बर की अंतिम डिक्री नहीं की जाकर पूर्व स्थिति अनुसार पृथक रखा जाता है।



मु0सं0-02/2022
उनवान-बिरदीचन्द बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक:-30.11.2022

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर

चौमूं